न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई

लल्लू मुकाम बनाम कजोड्या

दफा दावा तकास्मा स्थायी निषेध 127/2017 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2017/00369	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली के अनुसार वादी द्वारा वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। प्रस्तुत दावा दोनो पक्षों की सहमति से दिनांक 6/10/2017 को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार बसवा को वाद में वर्णित सहखातेदारी भूमि का By meets & Bounds सरस-नरसा रस्ते की भूमि को ध्यान में रखते हुए कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बसवा द्वारा निर्देशित किया गया। तदुपरान्त तहसीलदार बसवा द्वारा 1.12.2017 को कुरेजात प्रस्तुत किये गये। जिस पर प्र०फा० लल्लू वादी द्वारा ऐतराज कुरेजात प्रस्तुत किया। ऐतराज कुरेजात पर बाद सुनवाई पक्षकार पुनः संशोधित कुरेजात प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया गया। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रकरण में पुनः कुरेजात पत्र क्रमांक 149 दिनांक 15/01/2018 प्रस्तुत किये जिस पर पुनः वादी द्वारा ऐतराज कुरेजात प्रस्तुत कर पक्षकारान की मौजूदगी में कुरेजात तैयार करने का निवेदन किया जिस पर दोनो पक्षों को पुनः सुना जाकर संशोधित कुरेजात तैयार करने के लिए तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया गया। तहसीलदार बसवा द्वारा पुनः संशोधित कुरेजात जरिये पत्रांक 223 दि० 13/03/2018 उपतहसीलदार बांदीकुई द्वारा एवं तहसीलदार बसवा के पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 12/3/2020 के द्वारा प्रस्तुत किये। जिस पर वकील उभयपक्ष को सुना गया वादी वकील द्वारा प्राप्त कुरेजात पर पुनः ऐतराज प्रस्तुत किया गया जिस पर वकील पक्षकारान को सुना जाकर [illegible] तहसीलदार बसवा को उनकी मौजूदगी [illegible] उपतहसीलदार बांदीकुई व ILR [illegible] मौके पर [illegible] प्रा० डिक्री के अनुरूप संशोधित कुरेजात तैयार कर विधिवत पक्षकारों की मौजूदगी में [illegible] प्रस्तुत करने हेतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:45:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्र०सं० 127/2017

दावा लल्लूराम बनाम कजोड़मल वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार बसवा द्वारा वांछित कुरेजात की प्रतियों में रंग सुर्ख नक्शा द्वारा पत्र क्रमांक 5147 दि० 20/10/2020 के प्रस्तुत किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। उपरोक्त प्राप्त कुरेजात पर प्रतिवादी कजोड़मल मय वकील उप० आये व अपनी सहमति प्रकट कर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किये प्रतिवादी वकील द्वारा प्रा० पत्र ऐतराज कुरेजात प्रस्तुत किया

प्राप्त कुरेजात बाबत प्रस्तुत वादी ऐतराज प्रा० पत्र पर उभयपक्ष वकील को सुना गया। वादी वकील द्वारा बिना सूचना के कुरेजात तैयार करना सड़क के समीप की भूमि प्रतिवादी को अधिक देना बताया एवं पुनः संशोधित कुरेजात तैयार कराने का निवेदन किया प्रतिवादी वकील द्वारा मौके पर हिस्से अनुसार भूमि का सही बटवारा करना प्रकट किया व प्रकरण की अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने प्रकरण में प्राप्त कुरेजात 20/10/20 का अवलोकन किया। एवं इससे पूर्व प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रकट है कि वादी द्वारा प्राप्त कुरेजात पर बार-बार ऐतराज जरिये वकील प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार बसवा द्वारा अपर तहसीलदार बांदीकुई एवं पटवारी हल्का की विधिवत विवादित आराजी के कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत किये गये है। प्राप्त कुरेजात पर वादी द्वारा सहमति प्रस्तुत की है। वादी द्वारा प्राप्त कुरेजातों पर बार-बार ऐतराज प्रस्तुत करने से जाहिर होता है कि वह भूमि-बटवारा नहीं कराना चाहता है।

अतः प्रकरण में वि[illegible] कुरेजात पत्रांक 5147 दि० 20/10[illegible] [illegible] जाने से स्वीकार किये जाते [illegible] अनुसार निम्न अनुसार पक्षकारों की खातेदारी [illegible] की। अतः आदेश है कि
1. ग्राम भोजवाड़ा तहसील बसवा जिला दौसा स्थित भूमि ख०नं० 285 रकबा 0.23 है० ख०नं० 286 रकबा 0.28 है० ख०नं० 287 रकबा 0.14 है० ख०नं० 290/1 रकबा 0.03 है० ख०नं० 291 रकबा 0.08 है० ख०नं० 292/1 रकबा 0.11 है०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:45:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दावा   प्र० सं० 127/2017

लल्लूराम बनाम कजोड़्या वगै०

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ख० नं० 293/1 रकबा 0.1850 हे० ख० नं० 304 रकबा 0.19 हे० किता 8 कुल रकबा 1.3050 हे० लल्लूराम पिता हरनारायण जाति मीना साकिन देह रहिन SBI शाखा बांदीकुई मूर्तहीन खातेदार रहेगा।	
	भूमि ख० नं० 293 रकबा 0.34 हे० ख० नं० 295 रकबा 0.21 हे० ख० नं० 296 रकबा 0.43 हे० ख० नं० 290/2 रकबा 0.03 हे० ख० नं० 292/2 रकबा 0.05 हे० ख० नं० 303/2 रकबा 0.0450 हे० कुल किता 6 कुल रकबा 1.1050 हे० कजोड़्या बेटा रामहेत जाति मीना साकिन देह खातेदार रहिन SBI शाखा बांदीकुई मूर्तहीन के खातेदारी में रहेगी।	
	भूमि ख० नं० 288 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 289 रकबा 0.02 हे० किता 2 कुल रकबा 0.03 हे० लल्लूराम पि० हरनारायण हि० 1/2, कजोड़्या पिता रामहेत हि० 1/2 जाति मीना साकिन देह खातेदार रहिन SBI शाखा बांदीकुई की सहखातेदारी में रहेगी। निर्णय तदनुसार डिक्री जारी हो।	
	सुनाया गया।	

(हस्ताक्षर) मीना
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:45:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner